संख्याः /I(2)/2014-05-53/2007

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च, 2014

विषयः– **मनेरी भाली–द्वितीय परियोजना से सम्बन्धित मैसर्स हाईडिल कन्सट्रक्शन के विवाचन प्रकरणों से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2013–14 में ऊर्जा विकास निधि से अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 1820 /I(2)/2013-05/53/2007 दिनांक 17.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मनेरी भाली–।। परियोजना के विवाचन प्रकरणों हेतु ऊर्जा विकास निधि से 34,02,44,870.00 (रूपये चौतींस करोड़ दो लाख, चवालीस हजार आठ सौ सत्तर मात्र) की धनराशि ऋण के रूप में निर्गत की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 1710.2013 से निर्गत ऋण के सापेक्ष वर्णित पत्र के प्रस्तर 06 के कम में ऋण की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

1. ऋण की अवधि 05(पॉच) वर्ष होगी।
2. स्वीकृत ऋण पर अवशिष्ट ऋण से 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा विलम्ब की दशा में 1.0 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. मूलधन की वापसी 05 समान किश्तों में होगी, जिसकी प्रथम किश्त माह मार्च, 2014 से प्रारम्भ होगी।
4. ब्याज की धनराशि की अदायगी त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।
5. प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुए प्रेषित किया जायेगा।
6. ऋण वापसी, किश्तों एवं ब्याज का भुगतान महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के ऊर्जा सेल को निम्न सूचनाओं सहित प्रेषित करेंगेः–
   1. कोषागार का नाम, 2– चालन संख्या, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि/ब्याज।
7. यूजेवीएनएल को प्राप्त ऋण का लेखा शासन के ऊर्जा सैल द्वारा भी रखा जायेगा।
8. ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करते हुए मिलान की सूचना से शासन को उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा सैल से किश्तों के भुगतान का मिलान भी कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2

9. भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया गया हों ताकि अवशेष ऋण की स्थिति स्पष्ट रहें और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय से प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दें।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2014 तक शासन एवं महालेखकार को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।
11. शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 17.10.2013 की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 793 दिनांक 20.02.2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
प्रभारी सचिव।

संख्याः 192 /I(2)/2014-05-53/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक, सचिवालय, देहरादून।
7– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
अनु सचिव।